फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

पचल राम, पिता-स्व0 हुलास राम, ग्राम-मंडईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-39, प्लॉट संख्या-779, रकबा-06 डी0 भूमि विवेक कुमार, पिता-स्व0 महेन्द्र किशोर प्रसाद चौधरी, ग्राम-पदमा, थाना-बरही, ओ0पी0 पदमा, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 153/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता विवेक कुमार एवं विक्रेता पचल राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकबा लगभग 2.64 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं हुलास भूईयां वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 39/I पर हुलास भूईयां के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता पचल राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1744421 दिनांक-30.12.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/1695719 दिनांक-31.12.2017 और क्रेता विवेक कुमार का अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/986958 दिनांक-22.07.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/916387 दिनांक-18.07.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे[illegible] कार्रवा[illegible] टिप्पणी
1	2	
	कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-39, प्लॉट संख्या-779, रकवा-06 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.05.12 13:56:10 +05:30
Location: 192.168.0.101